फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री महेन्द्रसिंह | **विपक्षी : मालसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 33/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 20.08.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया, जबकि मूल वाद आज स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी हैं, अतः मूल वाद में बंटवाडा होकर अंतिम डिक्री जारी होने तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है ताकि बंटवाडे के दौरान किसी प्रकार की कानूनी पैचीदगीया उत्पन्न न हो। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्ष को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 का स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा ढाणा पटवार हल्का मेडता की आराजी न. 81, 88 से 95, 191, 192, 202, 206 किता 13 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि में मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्षकारान मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.08.26 15:46:13 IST
Reason: SelfAttested